तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 76 / 2019	नं0 अह हुक में
29.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.01.2019 में उसके द्वारा (1) श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर के आदेश कमांक / 2003 / 447–453 दिनांक 10. 01.01.2003 की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.((अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 625 दिनांक 21.05.19 तथ्यात्मक रिर्पोट प्रस्तुत हुई जिसमें अवगत कराया गया कि अपीलार्थी खेमसिंह को इस कार्यालय के पत्रांक 294 दिनांक 07.03.19 के जरिये सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में वर्णित विशिष्टियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है यथा (पत्र का पूर्ण संदर्भ एवं उससे संबंधित विषय), जिसके अभाव में सूचना दिया जाना संभव नहीं है तथा आवेदन पत्र में वर्णित विशिष्टियों का स्पष्ट उल्लेख कर कार्यालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जो अभी तक अपेक्षित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित विशिष्टियों का स्पष्ट उल्लेख कर पुनः कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु सूचित किया जा चुका है अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने के लिए अब भी गंभीर है तो चाही गई सूचना की पूर्ण विशिष्टियां का उल्लेख कर पुनः आवेदन कर सकता है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	